(b) wrether the Cooperative Banks have been given directives to make necessary amendments; and

(c) whether the same rule would also be applied in other fields i.e. employment, contracts, jobber etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Combating T.B.

1161. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in 'The Hindustan Times' dated 13th October, 1994 under the caption "TB top killer disease in India", and

(b) if so, the reasons for which the disease has not so far been controlled and the number of patients reduced during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir.

(b) Central Government is implementing a National T.B. Control Programme through a Centrally Sponsored Scheme on 50:50 sharing basis between the Centre and States in the country. Mal-nutrition, poverty, illiteracy and over-crowding are some of the reasons which have contributed to the spread of diseases. Though there has been no significant change in the incidence of T.B. mortality and severity of morbidity have declined.

Performance of Family Welfare Programmes in States

1162. SHRI IQBAL SINGH:
DR. B. B DUTTA;

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the performance of Family Planning Programme varies significantly amongst States;

(b) whether it is also a fact that the more populous Northern States are considerably lagging behind in this regard; and

(c) the details of the steps taken by Government for effective implementation of the programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) An Action Plan covering improvement in the quality and outreach of services, differential approach to poor performing areas, innovative approahces in IEC activities, greater involvement of NGOs, active community participation, improved mother and child health care, etc. is being implemented.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना

116. श्री किसनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर और अधिक बल देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ग) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य

क्षेत्रवार/क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) 8वीं योजना में विकास हेतु निश्चित किये गये मुख्य रूप से बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अन्यों के साथ-साथ जनसंख्या को पीड़ित करने वाले मुख्य संचारी और गैर-संचारी रोगों का उन्मूलन नियंत्रण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति का विकास करना, जैव चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी में वृद्धि करना सम्मिलित है। शिशु जीवन रक्षा व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों पर विशेष रूप से जोर देने के साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना ऐसे दो मुद्दे हैं जिन पर स्वास्थ्य कार्यनीति संबंधी पहलें आधारित हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (योजना परिव्यय) के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

योजना अवधि	समस्त स्वास्थ्य क्षेत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सहित)	समस्त परिवार कल्याण क्षेत्र
7वीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	3683.8	3105.21
8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	7582.2	6500.00

व्यय परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वास्थ्य			परिवार कल्याण	
	(केन्द्रीय क्षेत्र को छोड़कर) 7वीं योजना (85–90) में वास्तविक व्यय	8वीं योजना (92–97) में अनुमोदित व्यय	(केन्द्रीय क्षेत्र, को छोड़ कर) 7वीं योजना (85–90) में वास्तविक व्यय	8वीं योजना (92–97) में अनुमोदित व्यय	
1. आन्ध्र प्रदेश	13777	18332	21142.49		राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन वार्षिक योजना परिव्यय के अनुसार वार्षिक आधार पर किया जाता है।
2. अरुणाचल प्रदेश	1468	2802	100.39		
3. असम	11508	15949	5386.59		
4. बिहार	18916	67687	18110.74		
5. गोवा	2200	5900	205.17		
6. गुजरात	10404	24200	13237.00		
7. हरियाणा	6243	17611	5363.03		
8. हिमाचल प्रदेश	1347	12100	3068.67		
9. जम्मू-कश्मीर	9436	17990	2415.90		
10. कर्नाटक	10586	34200	17912.72		1992–93 से 1994–95 तक का आवंटन संलग्न है ।
11. केरल	6627	12000	15104.59		
12. मध्य प्रदेश	19557	30087	17192.56		
13. महाराष्ट्र	28142	55326	22343.25		

परिवार कल्याण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	आवंटन		
	1992–93	1993–94	1994–95
1. आंध्र प्रदेश	5445.33	5550.30	6412.87
2. अरुणाचल प्रदेश	147.48	157.16	158.17
3. असम	2251.73	2127.91	2036.79
4. बिहार	4800.15	5188.59	6999.29
5. गोआ	125.19	122.04	125.66
6. गुजरात	3386.66	3740.57	4090.20
7. हरियाणा	1520.05	1531.10	1729.21
8. हिमाचल प्रदेश	993.11	1409.82	881.67
9. जम्मू और कश्मीर	1137.92	1003.36	2788.68
10. कर्नाटक	3094.07	3333.15	3624.74
11. केरल	2493.69	2347.72	2231.23
12. मध्य प्रदेश	5201.07	6575.01	5745.45
13. महाराष्ट्र	6491.20	6824.49	5964.41
14. मणिपुर	373.48	360.69	351.80
15. मेघालय	254.10	257.31	249.97
16. मिजोरम	152.01	164.88	170.90
17. नागालैण्ड	217.48	213.89	217.94
18. उड़ीसा	3196.64	2824.57	4521.42
19. पंजाब	1841.37	1915.42	2619.43
20. राजस्थान	3762.22	5037.44	3716.58
21. सिक्किम	131.41	173.59	203.08
22. तमिलनाडु	4441.96	4530.30	5125.47
23. त्रिपुरा	299.30	316.83	302.66
24. उत्तर प्रदेश	12838.90	16506.92	16228.41
25. पश्चिम बंगाल	4895.05	5349.45	4761.27
योग :	69491.57	77571.29	81256.30
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70.15	65.10	70.90
2. चंडीगढ़	103.25	115.75	138.25
3. दादरा और नागर हवेली	20.10	21.00	24.00
4. लक्षद्वीप	7.35	8.22	9.30
5. दमण और दीव	13.30	18.52	21.25
6. दिल्ली	619.10	675.10	1173.00
7. पांडिचेरी	63.10	68.00	80.00
योग :	896.35	972.49	1516.70
कुल योग :	70387.92	78543.78	82773.00

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	आवंटन			
	1992-93	1993-94	1994-95	
14. मणिपुर	1393	2100	1028.93	
15. मेघालय	1672	4000	632.71	
16. मिजोरम	1518	2550	225.58	
17. नागालैंड	2143	5000	963.86	
18. उड़ीसा	7312	22323	10770.47	
19. पंजाब	5804	25475	5897.55	
20. राजस्थान	12160	39095	12057.55	
21. सिक्किम	72	5220	306.84	
22. तमिलनाडु	15081	26600	13356.00	
23. त्रिपुरा	2305	5000	717.00	
24. उत्तर प्रदेश	44013	51757	44804.22	
25. पश्चिम बंगाल	9893	28100	17999.44	
कुल	247278	531404	254041.27	
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	637	2251		
2. चंडीगढ़	990	6682		
3. दादरा व नागर हवेली	170	280	1831.98	
4. दमण व दीव	152	240		
5. दिल्ली	20720	35000		
6. लक्षद्वीप	162	362		
7. पांडिचेरी	1106	2000	444.28	
कुल संघ राज्य क्षेत्र :	23937	46815	2276.26	
(राज्य संघ राज्य क्षेत्र):	271215	578219	256317.53	
सैंट्रल सैक्टर :	97164	180000	54203.01	
कुल :	368379	758219	310520.54	65000